OA-205/2024/EZ

D/o.

COPY OF ORDER & petition in Original Application No. 931/2024

न्यायिक अनुभाग Judicial Section <judicial-ngt@gov.in>

Mon, 23 Sep 2024 12:02:51 PM +0530

To "Sh. RAJA CHATTERJEE Registrar" <registrarngt-kolkata@gov.in>, "National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata" <ngtjudicial-kolkata@gov.in>

Respected Sir/Madam,

I am directed to forward a copy of the **Order dated 05/09/2024 passed in Original Application No. 931/2024 Ranjan Singh Applicant Versus State of Bihar Respondent.** for your kind perusal & necessary action.

भवदीय / Regards
परामर्शदाता (न्यायिक) / Consultant (Judicial)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण / National Green Tribunal
प्रधान न्यायपीठ / Principal Bench
नई दिल्ली / New Delhi - 110001

2 Attachment(s) • Download as Zip • Add To ›

Ranjan Singh.pdf
308.4 KB •

OA No. 931 of 2024 in 2571....pdf
5.1 MB •

(11)

Email

2571/LP/2023
05/12/23

Public Grievance

Complaint Application / Ranjan Singh / Rohtas Bihar

From : ranjansinghrohtas0021@gmail.com Mon, Nov 06, 2023 08:03 PM

Subject : Complaint Application / Ranjan Singh / Rohtas Bihar 1 attachment

To : CM Secretariat Bihar <cm-secretariat-bih@gov.in>, CMO Bihar <cmbihar-bih@nic.in>, Navin Kumar, IAS <dm-rohtas.bih@nic.in>, secy-home-bih <secy-home-bih@nic.in>, Commissioner Patna <patcom-bih@nic.in>, CMO Bihar <cmbihar@nic.in>, Chief Secretary Bihar <cs-bihar@nic.in>, secy@prdbihar.gov.in, Rakesh Rathi DIG Shahabad <digshahabad-bih@nic.in>, IGHeadquarters Bihar, Patna <ighqr.patna-bih@nic.in>, dgp-bih <dgp-bih@nic.in>, ADG HQ <adghqr-bih@nic.in>, Mr Sanjay Singh <adglaworder-bih@gov.in>, Public Grievance <publicgrievance-ngt@gov.in>, Administrative Section <admn.ngt@nic.in>, ds home bihar <ds.home.bihar@gmail.com>, Deputy Secretary, Passport Section, Home Department, Govt. of Bihar <foreignsec.home-bih@gov.in>, usb-home-bih@gov.in, Registrar General <rg.ngt@nic.in>, Deputy Registrar <dr.ngt@nic.in>, ps chairmanngt <ps.chairmanngt@gmail.com>, Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in>, General Section <ngt-genadmin@gov.in>, BPL Filing <filing.bpl-ngt@gov.in>, Ngt Protocol <protocol.ngt@nic.in>, NGT Store <so.ngt@nic.in>, abakolkar ngt <abakolkar.ngt@gmail.com>, Sh. RAJA CHATTERJEE Registrar <registrarngt-kolkata@gov.in>, miningrohtas@gmail.com, sdobikramganj551@gmail.com, RAMAN KUMAR <co.nas-ro-bih@gov.in>, prdpatna@prdbihar.gov.in, Dr B Rajender <secy-par-bih@nic.in>, Special Secretary, Govt. of Bihar <spsec.spl-bih@gov.in>, Joint Secretary, Govt. of Bihar <Jointsecy.spl-bih@gov.in>, GIRISH MOHAN THAKUR <usp-home-bih@gov.in>, fshsdbih@gmail.com

✓ SM
EZB

VID20231022171204.mp4

VID20231022170838.mp4

Complaint Application Ranjan Singh Rohtas.pdf
2 MB

दिनांकः—06/10/2023

सेवा में,

माननीय न्यायामूर्ति श्री आर्दर्श कुमार गोयल

अध्यकक्ष, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली भारत।

विषयः— रोहतास जिला अन्तर्गत नासरीगंज स्थित अमियावर मे श्री अनिल कुमार जिला खनन पदाधिकारी रोहतास एवं श्री अमित कुमार अंचलाधिकारी नासरीगंज रोहतास के मिलीभगत से बालु खनन हेतु अवैध तरीके से सर्वजनिक स्थान, मंदिर के सटे एवं जल श्रोत (पैन) के स्वरुप को नष्ट करते हुऐ रास्ता बनाने के संबंध में।

महाशय,

विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि मै रंजन सिंह (पत्रकार) रोहतास पिताः—रबिन्द्र कुमार सिंह ग्रामः—पँवरा पो0ः—कुरुम्हरा थानाः—सुर्यपुरा जिलाः—रोहतास बिहार का निवासी हुँ। रोहतास जिला अन्तर्गत नासरीगंज स्थित सोन नद में बालू खनन हेतु मेसर्सः—गणपति फ्यूल प्रो0ः—प्रेमचन्द्र सिंह पिताः—राधेश्याम सिंह पताः—पूर्वी पाली डिहरी ऑन सॉन जिलाः—रोहतास के द्वारा सार्वजनिक धार्मिक स्थान एवं जल श्रोत के सटे उसके स्वरुप को नष्ट कर बालु खनन हेतु रास्ता बनाने का मामला प्रकाश में आया है। जिसपर जनहित में सज्ञांन लेना अतिआवश्यक है। विदित हो कि उपरोक्त स्थान पर मेसर्सः—गणपति फ्यूल द्वारा सार्वजनिक स्थान मंदिर आमियावर में अवैध तरीके से रास्ता बनाया जा रहा है। जहाँ हनुमान जी का मंदिर अवस्थित है। यहाँ भारी मात्रा में लोग पूर्जा आर्चना करने आते रहते है। जबकि बालु खनन से अवैध ट्रको का परिचालन होने से जान माल की छती भी हो सकती है। तथा नियम का विरुद्ध है। साथ ही जिस रास्ते से बालु खनन हेतु रास्ता बनाया रहा है। वहाँ जल श्रोत (पैन) है। जहाँ उस पैन से सिचाई का साधन प्रवाहित हो सकता है। माननीनय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जल श्रोत को प्रभावित अथवा उसके स्वरुप को नष्ट करना एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। तथा इस पर तवरित कारवाई की जानी चाहिऐ। उपरोक्त सभी तथ्यों के जानकारी के वाजुद जिला खनन पदाधिकारी श्री अनिल कुमार एवं श्री अमित कुमार अंचलाधिकारी नासरीगंज रोहतास मुक दर्शक बने हुऐ है। सुचनार्थ देने के बाद भी कार्य को रोका नही जा रहा है। जिससे स्पष्ट है कि जिला खनन पदाधिकारी अनिल कुमार एवं श्री अमित कुमार अंचलाधिकारी नासरीगंज रोहतास मेसर्सः—गणपति फ्यूल से मिलकर कार्य को करवाने में सहीयोग कर रहे है। इसकी सुचना दोनो पदाधिकारीयों को कई बार दिया गया। लेकिन अबतब कोई कारवाई नही हो सकी।

अतः— श्रीमान से अनुरोध है कि यथा शीध्र स्थान को जाँच कराते हुऐ सार्वजनीक स्थान—मंदिर एवं जल श्रोत (पैन) पर अवैध कार्य को रोक लगाने हेतु सबंधित पक्षकारो एवं पदाधिकारीयों पर नोटिस तामिला करते हुऐ आवश्यक कारवाई करते हुऐ तत्काल कार्य पर रोक लगाने कि कृपा कि जाए।

(13)

विश्वासभाजन

Ranjan Singh

रंजन सिंह (पत्रकार),रोहतास बिहार

Mob No- 9430254821, 8409933021

E-mail id:- ranjansinghrohtas0021@gmail.com

अनुलग्नकः—

मेसर्सः—गणपति फ्यूल द्वारा बजरंग बली के मंदिर के बगल में बनाये जाने वाला अवैध रास्ता का फोटो आवेदन के साथ सलंग्न है।

प्रतिलिपिः— राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री नितीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री रामानंद यादव माननीय मंत्री खन एवं भूत्तव विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री आमीर सुभानी मुख्य सचिव बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री दिपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री एस0 सिद्धर्थ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री अनुपम कुमार माननीय मुख्यमंत्री के सचिव बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री परमार रवि मनुभाई अपर मुख्य सचिव—सह— खान आयुक्त बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री संजय कुमार अग्रवाल परिवहन विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— नैयर हसनैन खां अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध इकाई विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री धर्मेन्द्र कुमार खान एवं भूत्तव विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री कुमार रवि पटना प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री नवीन कुमार जिला पदाधिकारी रोहतास को सुचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री जितेन्द्र कुमार गंगवार अपर पुलिस महानिर्देशक पटना बिहार को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री विनय कुमार पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय पटना बिहार को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री नवीन चंद्र झा पुलिस उपमहानिरीक्षक शहाबाद प्रक्षेत्र को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री विनित कुमार पुलिस अधीक्षक रोहतास को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री उपेंद्र कुमार पाल अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज रोहतास को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— अनुमंडल पलिस पदाधिकारी विक्रमगंज रोहतास को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— श्री अनिल कुमार खनन पदाधिकारी रोहतास सासाराम को सूचनार्थ समर्पित।

प्रगिलिपि :— श्री अमित कुमार अंचलाधिकारी नासरीगंज रोहतास को सूचनार्थ समर्पित।

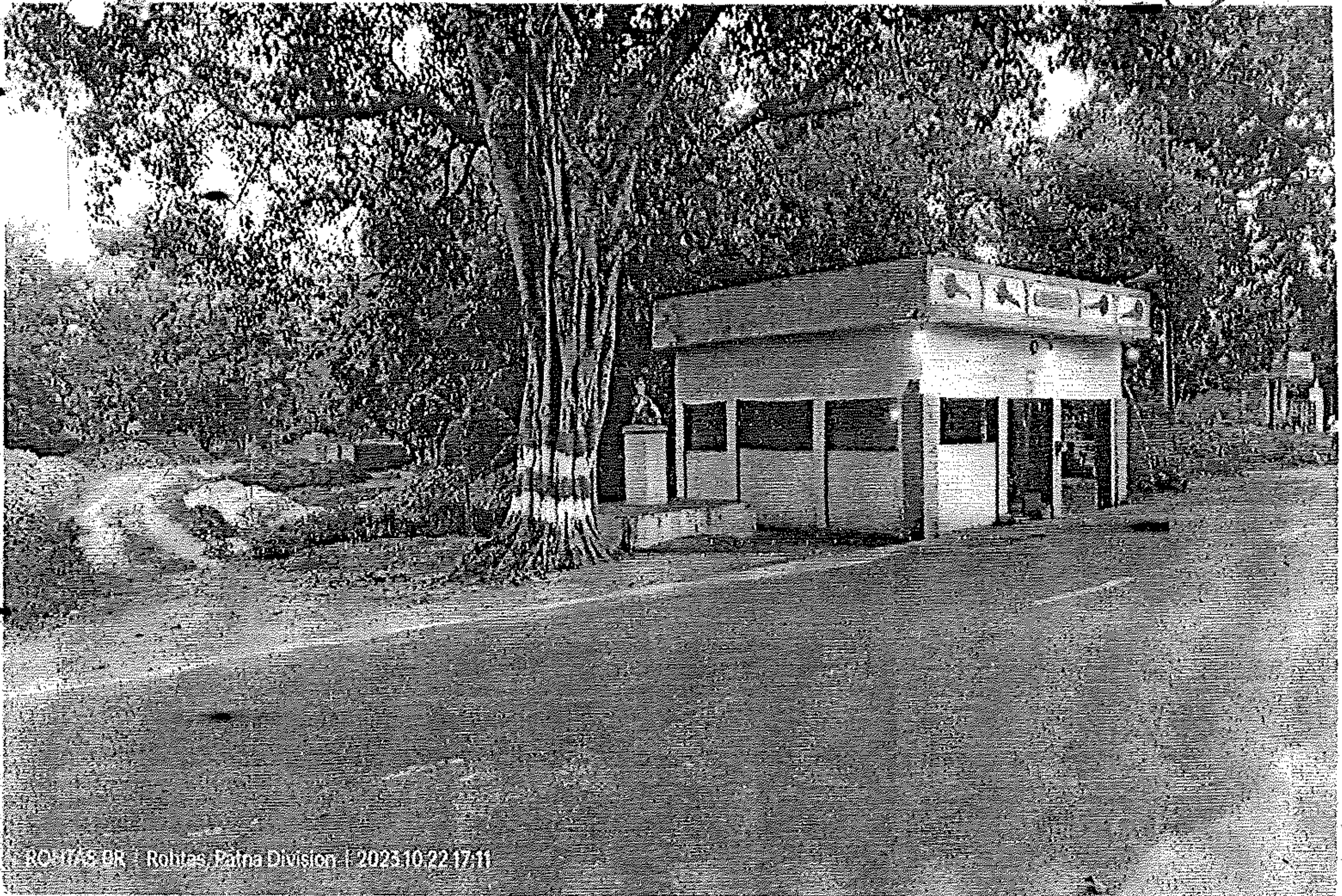
ROHTAS DR | Rohtas, Patna Division | 2023.10.22 17:11

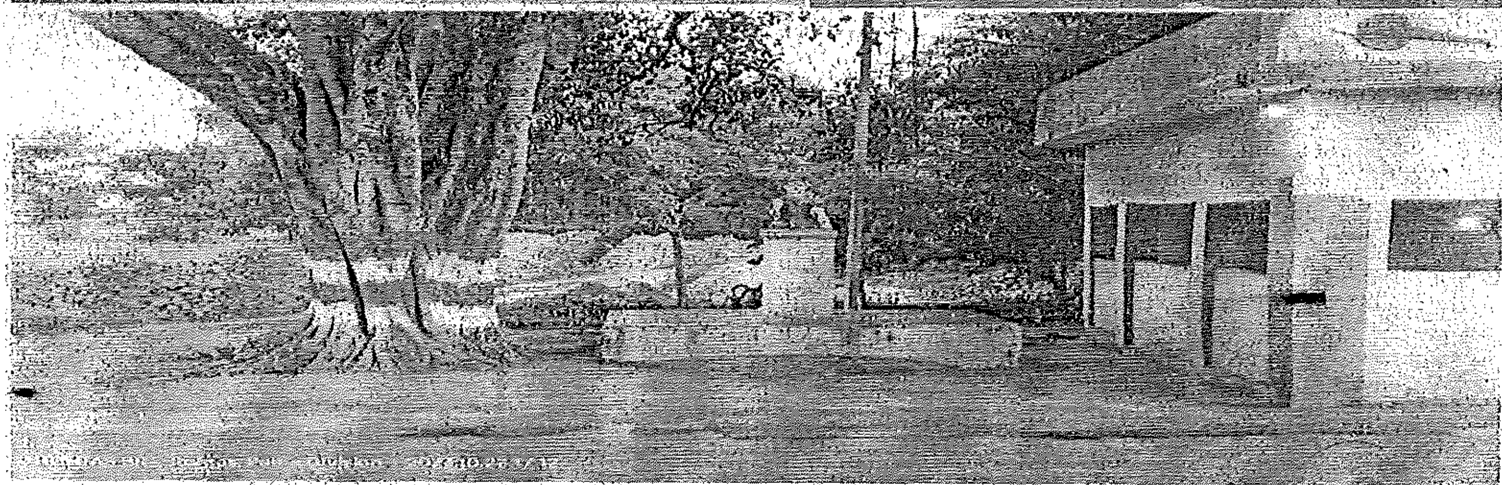

Item No.02 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.931/2024

Ranjan Singh Applicant

Versus

State of Bihar Respondent

Date of hearing: 05.09.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant(s): .....
Respondent(s): ....

ORDER

1. This Original Application has been registered in exercise of *suo-moto* jurisdiction in view of law laid down by Supreme Court in ***Municipal Corporation of Greater Mumbai Vs. Ankita Singha and others, (2022) 13 SCC 401*** under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as '**NGT Act, 2010**') on a letter petition dated 06.10.2023 sent by Ranjan Singh, a Journalist of Rohtash State of Bihar.

2. Complainant has said that at Nasriganj M/s. Ganpati Fuel through its proprietor Prem Chand Singh, son of Radhye Shyam Singh is engaged in sand mining in the river bed of Sone River. For purpose of transportation of minor mineral, it has constructed a passage illegally at a place where is temple and people come to worship. Passage of mineral loading vehicles therefore, may create threat to the life and security of worshipers visiting the temple. Further passage has been constructed where there is a water source which may adversely affect the source of irrigation to the agriculturist.

3. In our view, complaint made in the present letter petition at the first instance can be effectively addressed by District Authorities and Statutory Regulators and if they find any violation of environmental laws, may take appropriate action in accordance with law.

4. We accordingly constitute a Joint Committee comprising Bihar State Pollution Control Board and District Magistrate, Rohtash.

5. District Magistrate, Rohtash shall be the Nodal Agency for co-ordination and compliance of this order.

6. Said Committee shall look into the matter and if finds that there is any violation of environmental laws by any activity of the above proponent, it shall take preventive, punitive, prohibitive and remediation action in accordance with law within two months and submit a Compliance Report with Registrar, Eastern Zone Bench at Kolkata. If any further order is required, Registrar shall place the matter before the Bench concerned.

7. Registry is directed to transmit record to Eastern Zone Bench at Kolkata.

8. With aforesaid directions/observations, this Original Application is disposed of.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

September05, 2024
Original Application No.930/2024
M